।। श्री ।।

पुनरीक्षण क्रं. : ..../2015

प्रस्तुति दिनांक : 30– 5–2015

निगरानी 1661-PBR-15

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (इन्दौर कैम्प) के समक्ष

प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 30/5/201 को प्रस्तुत

1253/30-05-2015

सोहनसिंह पिता करणसिंह सिसोदिया
उम्र : 39 वर्ष, धंधा : व्यापार,
निवासी : 175, खातीपुरा, सुकलिया,
इन्दौर (म.प्र.) — **प्रार्थी**
(मूल प्रतिप्रार्थी)

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा तहसीलदार (नजूल)
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) — **प्रतिप्रार्थी**
(मूल प्रार्थी)

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

प्रार्थी की ओर से सादर निवेदन है कि :–

यह कि, प्रार्थी श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 197/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17–04–2015 जिसके द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को निरस्त करते हुए श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, इन्दौर द्वारा प्रार्थी प्रस्तुत प्रथम अपील क्रं. 3/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 24–02–2012 जिसके द्वारा प्रार्थी की प्रथम अपील निरस्त की गई है एवं श्रीमान तहसीलदार (नजूल), इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 220/अ–68/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 13–09–2011 जिसके द्वारा तहसीलदार महोदय ने प्रार्थी के विरूद्ध धारा 248 म.प्र.भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत बेदखली आदेश पारित किया है, को यथावत् रखा गया है, से

अविरत.......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1661–अध्यक्ष/15 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–9–2014	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 17–4–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि ग्राम सुखलिया स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 453 पैकी रकवा 6,300 वर्गफीट पर आवेदक द्वारा मंदिर एवं आवास बनाकर अतिक्रमण किया गया है । आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व संबंधी कोई दस्तावेज अथवा प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय सहित अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । राजस्व निरीक्षक नजूल द्वारा अपने कथन से सिद्ध किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय पड़ती लावणी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिस पर आवेदक द्वारा मंदिर तथा आवास बनाकर अतिक्रमण किया गया है, अतः तहसीलदार नजूल द्वारा अधिक्रमण हटाने संबंधी आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	